

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

दिनांक : 10.10.2022

शास्ति (पेनाल्टी) के ऑन लाइन भुगतान के संबंध में प्रकाशकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मामलों के निपटान को गति प्रदान करने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान के कारण हो रहे विलम्ब से बचने के लिए आर एन आई 15 अक्टूबर, 2022 से केवल भारतकोष ऑन लाइन मोड के माध्यम से ही शास्ति का भुगतान स्वीकार करेगा। निहित परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए आर एन आई केवल 15.10.2022 को अथवा उससे पूर्व की तिथि में जारी डिमांड ड्राफ्ट ही स्वीकार करेगा।

ऑन लाइन भुगतान संबंधी प्रक्रिया को निम्नलिखित लिंक अथवा क्यू आर कोड के माध्यम से समझा जा सकता है।

http://egov.rni.nic.in/DocFiles/Online_Payment_system_for_paying_the_penalty_to_RNI.pdf



धीरज

(डॉ. धीरज काकडिया)

अपर प्रेस पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

प्रति,

टी डी (एन.आई.सी.) को अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

प्रेस पंजीयक के निजी सचिव।

अपर प्रेस पंजीयक के निजी सचिव।

सभी सहायक प्रेस पंजीयक।

सभी अनुभाग प्रमुख।